राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजपत्रित/डीपीसी/2014/ 826 दिनांक 15.9.14

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2011—12 व 2012—13 मे चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ. ( )/डीओपी/ए—II/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अकिंत तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600—39100 में ग्रेड पे 5400/— स्वीकृत की जाती है :—

क.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. कपिलराज लटियाल	12.11.1986	21.06.2013	20.06.2014
2	डॉ. सुमन मीना	01.11.1984	05.08.2013	04.08.2014
3	डॉ. रवि कुमावत	04.11.1985	10.08.2013	09.08.2014
4	डॉ. राजेश कुमार शर्मा	08.03.1986	22.12.2011	09.02.2013 (140 असा.अ.)
5	डॉ. विकास भारद्वाज	04.08.1984	29.07.2013	28.07.2014
6	डॉ. रघुराज सिंह	26.06.1985	07.08.2013	06.08.2014
7	डॉ. दिलीप सिंह निर्वाण	23.10.1983	26.12.2011	29.12.2012 (94 असा.अ.)
8	डॉ. कमला वर्मा	06.12.1979	05.08.2013	04.08.2014
9	डॉ. मनीष कुमार बैन्धा	14.01.1984	31.07.2013	30.07.2014
10	डॉ. सन्दीप कुमार महला	31.07.1986	08.08.2013	07.08.2014
11	डॉ. राजेश कुमार	05.07.1981	23.12.2011	22.12.2012
12	डॉ. विजय सिंह	21.12.1978	10.08.2013	09.08.2014
13	डॉ. पवन कुमार मोरवानी	02.09.1983	18.02.2013	17.02.2014
14	डॉ. जितेन्द्र बोगिया	14.08.1982	23.12.2011	22.12.2012
15	डॉ. मीनाक्षी गोयल	02.11.1983	12.06.2013	11.06.2014

16	डॉ. शिवानी	24.04.1979	30.12.2011	29.12.2012
17	डॉ. प्रेम परिहार	12.02.1982	10.05.2013	09.05.2014
18	डॉ. प्रेम कुमार	01.04.1985	21.05.2013	20.05.2014
19	डॉ. प्रीती चौहान	05.08.1982	22.12.2011	21.12.2012

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

कमांकः राजपत्रित/डीपीसी/2014/ 821 दिनांक 15.9.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्व होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर